न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

गोपाल पुत्र जगन्नाथ आयु 76 साल जाति मीना निवासी गुवरेडा तहसील मासलपुर जिला करौली राज. — अपीलार्थी

बनाम

सहायक वन संरक्षक, करौली जिला करौली राज. — प्रत्यर्थी

अपील वनाराजगी निर्णय दिनांक 09.05.2016 प्रकरण संख्या 01/12 उनवानी सरकार बनाम गोपाल मीना, प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट जिसके तहत अपीलाण्ट को खसरा नंबर 187/2 रकबा 8 बीघा से बेदखल करने के आदेश प्रदान किये गये हैं।

निर्णय दिनांक 26.08.2020

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वनखण्ड गुवरेडा के ग्राम गुवरेडा मौजा गौलारा सीमा की वनभूमि आराजी खसरा नंबर 187/2 रकबा 8 बीघा भूमि में अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण करने की सहायक वनपाल की रिपोर्ट एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी, मासलपुर द्वारा अतिक्रमण की पुष्टि किये जाने पर सहायक वन संरक्षक, करौली द्वारा प्रकरण संख्या 01/11 में दिनांक 09.05.2016 को बेदखली आदेश पारित किया गया है जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील, अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.05.2016 पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, तथ्यों के विपरीत, कतई मनमाने तरीके से आरबिट्रेरी परवर्स केप्रियसली फाइण्डिंग के आधार पर पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को वगैर नोटिस जारी किये व साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना करते हुए निर्णय जेर अपील पारित करने में विधि की भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का कब्जा मकान व नोहरे का आराजी खसरा नंबर 187/2 रकबा 8 बीघा बाके ग्राम गुवरेडा पर पाये जाने बाबत् निर्णय में अंकित किया है जबकि प्रार्थी अपीलाण्ट का कोई कब्जा ग्राम गुवरेडा के खसरा नं. 187/2 रकबा 8 बीघा पर नहीं है बल्कि अपीलाण्ट के तीन मकान बने हुए हैं जिनमें दो मकान 54 X 22 फुट लंबाई X चौड़ाई व एक मकान 100 X 22 फुट लंबाई X चौड़ाई भूमि बाके ग्राम गौलारा पटवार हल्का गुवरेडा के खसरा नं. 187/1 में बने हुए है जिसे अनदेखा करके जल्दबाजी में विवादित भूमि को अपनी मानने में गंभीर त्रुटि की है। अपीलाण्ट का काफी बड़ा परिवार है। परिवार में 45 सदस्य हैं जिनके रिहायश के लिये विवादित भूमि के अलावा अन्य स्थान पर कोई मकान नहीं है। एकमात्र रिहायश के लिये यही मकान जिनसे बेदखल होने पर वह बेघर हो जावेगा और बर्बाद हो जावेगा। बच्चों व मवेशी को सिर छिपाने को कोई स्थान नहीं है। विवादित भूमि से वन विभाग का कोई लेना देना नहीं है। वन विभाग जंगलात की भूमि खसरा नंबर 187/2 है। अपीलाण्ट की रिहायश व जंगलात भूमि पृथक–पृथक राजस्व रिकॉर्ड में बने हुए हैं। दामोदर शर्मा की खातेदारी की भूमि से 264 फुट दूरी पर वन विभाग की भूमि प्रारम्भ होती है जबकि अपीलाण्ट का मकान दामोदर शर्मा की खातेदारी भूमि से

185 फुट दूरी पर बना हुआ है जिसमें अपीलाण्ट विगत 20–25 वर्षों से मय गृहस्थी के रिहायश करता चला आ रहा है। नोहरे में मवेशी बांधता चला आ रहा है। गैत में घूरा खाद डालता आ रहा है। बीसीयों वर्ष के अंतराल में कभी भी किसी जंगलात के कर्मचारी व अधिकारी ने आपत्ति नहीं की है। अब वेजा परेशान करने की गर्ज से वन विभाग की भूमि ना होते हुए गलत रिपोर्ट के आधार पर कतई नियम विरुद्ध कार्यवाही करते हुए यह बेदखली आदेश विधि के प्रतिकूल अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है। यह कि विवादित भूमि आराजी खसरा नंबर 187/1 बाके ग्राम गौलारा वन विभाग की भूमि ना होकर राजस्व विभाग की भूमि है। इसके बावजूद भी जानबूझकर अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्णय जेर अपील अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है जो अल्ट्रावायरस होने के कारण निरस्त होने योग्य है। राजस्व भूमि में वन विभाग को 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिये निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 16.06.16 को वनविभाग के कर्मचारियों द्वारा यह कहने पर कि तुम्हारे बेदखली के आदेश दिनांक 09.05.16 को हो चुके हैं। मकानों को हटाओ अन्यथा हम मकानों को तुडवायेंगे तब दूसरे दिन 17.06.2016 को नकल अधीनस्थ न्यायालय में पेश करने पर प्राप्त होने पर हुई। इससे पूर्व निर्णय की कोई जानकारी अपीलाण्ट को नहीं थी। जानकारी दिनांक से अन्दर 30 योम अपील श्रीमान्जी के समक्ष पेश की है। अंत में अपील, अपीलार्थी स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

प्रत्यर्थी ने बहस के दौरान कथन किया है कि वनखण्ड गुवरेडा के ग्राम गुवरेडा मौजा गौलारा सीमा की वनभूमि आराजी खसरा नंबर 187/2 में 8 बीघा में से 10X8 वर्गफुट में दो छप्पर व 10X18 वर्गफुट भूमि पर मुंडी पाटौर बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट की गई थी जिसकी पुष्टि क्षेत्रीय वन अधिकारी मासलपुर द्वारा की गई थी। न्यायालय सहायक वन संरक्षक करौली में क्षेत्रीय वन अधिकारी मासलपुर द्वारा प्रार्थना पत्र तहत धारा 91 एल.आर. एक्ट पेश किया गया जिस पर वाद दायर कर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु व्यक्तिशः नोटिस जारी कर तलब किया गया। अपीलार्थी स्वयं उपस्थित हुआ था और उसने वन भूमि पर अतिक्रमण होना स्वीकार किया था। इस पर अपीलार्थी को स्वयं ही अतिक्रमण हटाने के लिये दिनांक 03.05.2012 को आदेशित किया गया था। आदेशिका पर अपीलार्थी के स्वयं की अंगूठा निशानी भी हैं। लेकिन अपीलार्थी ने वनभूमि से अपना अतिक्रमण हटाने के वजाय कालांतर में वनभूमि पर नये निर्माण भी कर लिये हैं जिसके तथ्य अपीलार्थी ने स्वयं अपनी अपील मीमो में अंकित किये हैं। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 12.12.2013 को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर चाहे जाने पर अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया गया है लेकिन अपीलार्थी द्वारा दिनांक 09.05.2016 तक कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा स्वयं अपना अतिक्रमण नहीं हटाये जाने के कारण दिनांक 09.05.2016 को विधिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आदेश पारित किया है जो पूर्णतः विधिसम्मत है। अंत में अपील, अपीलार्थी खारिज फरमाने का कथन किया है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी मासलपुर ने रिपोर्ट क्रमांक–एफ ( )विधि/क्षे.व.अ./2019–20/11 दिनांक 06.01.2020 से अवगत करवाया है कि दिनांक 03.01.2020 को वनखण्ड महुआ खेड़ा के ग्राम गुवरेडा के आराजी खसरा नं. 187/2 का निरीक्षण किया गया जिसमें श्री गोपाल पुत्र जगन्नाथ का अतिक्रमण पाया गया। रिपोर्ट के साथ मौका पंचनामा एवं खसरा ट्रेस पेश किया गया है। मौका पंचनामा पर अपीलार्थी व पटवारी हल्का गुवरेडा के भी हस्ताक्षर हैं एवं खसरा नं. 187/2 पर अपीलार्थी का अतिक्रमण पाया गया है। इसके अतिरिक्त नायब तहसीलदार मासलपुर द्वारा दिनांक 01.04.2012 को अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली को लिखे गये पत्र की प्रति भी संलग्न की है जिसमें

वनभूमि खसरा नं. 187/2 ग्राम गुवरेडा मौजा गौलारा पर अपीलार्थी का अतिक्रमण होना अंकित किया गया है।

सहायक वन संरक्षक करौली ने पत्र क्रमांक–एफ( )सवसं/19–20/ 11 दिनांक 21.01.2020 से अवगत करवाया है कि जिसके अनुसार भी वनखण्ड महुआ खेड़ा के ग्राम गुवरेडा मौजा गौलारा की वनभूमि खसरा नं. 187/2 में 100X50 वर्गफुट भूमि पर पक्का मकान एवं उसके पास लगभग 3 बीघा वनभूमि पर अपीलार्थी का अतिक्रमण पाया गया है।

तत्पश्चात् सहायक वन संरक्षक, करौली द्वारा पत्र क्रमांक–एफ( )विधि/सवसं/2020/101 दिनांक 31.03.2020 से रिपोर्ट प्रेषित की है जिसके साथ संलग्न क्षेत्रीय वन अधिकारी मासलपुर के पत्रांक 160 दिनांक 23.03.2020 में यह अंकित है कि वनखण्ड महुआखेड़ा के ग्राम गुवरेडा मौजा गौलारा के आराजी खसरा नं. 187/2 पर हरिराम, हुकमसिंह, समयसिंह, धर्मसिंह पि. गोपाल, उदयसिंह, अमरसिंह, भरतलाल, प्रेमसिंह पि. हल्के वर्ष 2008 में अपने पूर्व ग्राम मोठियापुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर से आकर बस गये हैं। मौका पंचनामा में ये सभी अपीलार्थी के ही वारिसान व परिवारजन बताये गये हैं। मूल रूप से अतिक्रमण अपीलार्थी द्वारा ही किया गया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु बुलाये जाने पर अपीलार्थी स्वयं उपस्थित हुआ है, उसने वनभूमि पर अपना अतिक्रमण भी स्वीकार किया है। अपीलार्थी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया लेकिन लगभग 3 वर्ष गुजरने के उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी मासलपुर की रिपोर्ट व पंचनामा, सहायक वन संरक्षक करौली द्वारा प्रेषित रिपोर्ट, दिनांक 01.04.2012 को नायब तहसीलदार मासलपुर द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर को प्रेषित पत्र आदि सभी से यह स्पष्ट विदित होता है कि अपीलार्थी वनखण्ड महुआखेड़ा के ग्राम गुवरेडा के मौजा गौलारा सीमा पर स्थित वनभूमि आराजी खसरा नं. 187/2 में वर्ष 2008 से निवास कर रहा है। इससे पूर्व वह ग्राम मोठियापुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर में निवास करता था। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय में वाद दायर करते समय अपीलार्थी का मात्र 10X8 वर्गफुट में दो छप्पर व 10X18 वर्गफुट भूमि पर मुंडी पाटौर बनाकर अतिक्रमण किया हुआ था जिसे कालांतर में बढ़ाकर 100X50 वर्गफुट भूमि पर पक्का मकान एवं उसके पास लगभग 3 बीघा वनभूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी willful trespasser है जो किसी भी प्रकार की रियायत का हकदार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील, अपीलार्थी को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। सहायक वन संरक्षक, करौली विवादित आराजी पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Sidharth Sihag
Date: 2020.08.26 18:37:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: